व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून का विकास :मूलतत्व

व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून क्या है?

व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून **एक ऐसा कानून है, जिसका उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना और सभी के लिए समानता को बड़ावा देना है।** इसे व्यापक माना जाने के लिए, व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून अंतरराष्ट्रीय कानून में पहचाने गए **सभी आधारों पर भेदभाव प्रतिबंध करता है**, कानून द्वारा विनियमित जीवन के सभी क्षेत्रों में, और **ऐतिहासिक या संरचनात्मक भेदभाव को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाइयों का आदेश देता है।** व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून किसी विशेष समूह के अधिकारों पर केंद्रित विशिष्ट कानून या किसी विशिष्ट क्षेत्र में होने वाले भेदभाव से भिन्न होता है।

असमानता कई रूपों में होती है और विभिन्न क्षेत्रों में असंख्य कारणो से होती है। इस संदर्भ में, व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून का अधिनियमन, प्रवर्तन और कार्यान्वयन आवश्यक - लेकिन पर्याप्त नहीं - कदम है जो राज्यों को उठाना चाहिए। इन कानूनों का प्रभाव सभी प्रकार के भेदभाव को रोकने, समानता को बढ़ावा देने और जीवन के सभी क्षेत्रों में विविधता को आगे बढ़ाने में होता है। विशेष रूप से, व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून का निर्माण और कार्यान्वयन उन समूहों के अधिकारों को महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भेदभाव और हाशिए पर होने के जोखिम में हैं, जिनमें राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शामिल हैं।

समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार: अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों की दायित्व क्या हैं?

समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक मूलभूत अंग हैं, जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निहित हैं और सभी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों के केंद्र में स्थापित हैं, जिनमें *नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र* शामिल हैं। इन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों पर आधारित, **भेदभाव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: किसी या अधिक संरक्षित आधारों पर किया गया कोई भी भेद, बहिष्कार या प्रतिबंध, जिसका उद्देश्य या प्रभाव मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की पहचान, आनंद या अभ्यास को समान स्तर पर समाप्त करना या बिगाड़ना या कानून द्वारा विनियमित जीवन के किसी भी क्षेत्र में समान भागीदारी को रोकना हो।**

व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून का निर्माण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन आवश्यक है यदि राज्यों को सभी के लिए समानता और गैर-भेदभाव के अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और पूर्ति करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है। व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून को अपनाना भी अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए

कि सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन और समानता को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार ढांचे के केंद्र में है, जिसमें *राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की उदघोषणा* शामिल है।

समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दायित्व हैं। राज्यों को ऐसे कानून अपनाने होंगे जो सभी प्रकार के भेदभाव को रोकते हों और ऐसे कानूनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें इन अधिकारों को लागू करने और प्रवर्तन के लिए विस्तृत नियम, संस्थान और प्रक्रियाएं स्थापित करना और सभी हितधारकों, जिसमें निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों शामिल हैं, के लिए स्पष्ट कर्तव्यों को निर्धारित करना शामिल है। इसके अलावा, राज्यों को सकारात्मक उपाय अपनाने होंगे, जो समानता और समावेश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आकल्पित किए गए हों, जिसमें वे लोग भी शामिल हों जिन्होंने ऐतिहासिक और संरचनात्मक नुकसान और उपेक्षा का सामना किया हो।

व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून में क्या कुछ शामिल होती है?

पिछले दो दशकों में, व्यापक भेदभाव-विरोधी कानूनों और इन कानूनों की आवश्यक सामग्री और तत्वों की ज़रूरत पर वैश्विक सहमति बढ़ी है। 2022 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) और इक्वल राइट्स ट्रस्ट ने "व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून विकसित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका" प्रकाशित की। यह पहली निर्णायक, प्राधिकृत और व्यापक मार्गदर्शिका है। यह स्पष्ट करती है कि व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून को निम्नलिखित शामिल करना चाहिए:

- **भेदभाव के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित और निषेध करना**, विस्तृत और खुले आधारों की सूची के आधार पर और जीवन के उन सभी क्षेत्रों में जहां कानून लागू होता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी आधार (जैसे आयु, जाति, वंश, विकलांगता, स्वदेशी मूल, लिंग और जातीयता, यौन अभिविन्यास आदि) और किसी भी अन्य प्रासंगिक आधार शामिल हों।
- **भेदभाव के सभी रूपों की स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान करना**, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में मान्यता प्राप्त परिभाषाओं के अनुरूप हों: प्रत्यक्ष भेदभाव, अप्रत्यक्ष भेदभाव, उत्पीड़न, उचित आवास से इनकार, प्रवेश्योग्यता करने में विफलता, अलगाव और प्रतिशोध।
- **जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना**। सार्वजनिक और निजी दोनों पक्षों के पास भेदभाव से बचने और रोकने के लिए दायित्व हों।
- **सकारात्मक कार्रवाई के उपायों को स्पष्ट रूप से अनुमति, आवश्यकता और प्रावधान करना**, जो भेदभाव और नुकसान के संपर्क में आए व्यक्तियों और समूहों के लिए समानता की ओर प्रगति करने के लिए बनाये गए हों।

- **समानता और गैर-भेदभाव के अधिकारों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लागू करना**, जिसमें बाधाओं की पहचान और उन्हें हटाने के लिए दायित्व शामिल हैं ताकि पर्यावरण, सूचना और संचार, और सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- **प्रभावी उपाय प्रदान करना**, जिसमें प्रभावी, निवारक और अनुपातिक दंड; पीड़ितों के लिए पहचान, मुआवजा और पुनर्स्थापन; और प्रासंगिक संस्थागत और सामाजिक उपाय शामिल हों।
- **न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा और समायोजन स्थापित करना**, जिसमें प्रारंभिक भेदभाव के मामले के बाद सबूत का भार स्थानांतरित करने का प्रावधान और प्रतिशोध पर रोक का प्रावधान शामिल हो।
- **स्वतंत्र, विशेषज्ञ और सुलभ समानता निकायों की स्थापना का प्रावधान करना**, जिनके पास पर्याप्त संसाधन, कार्य और शक्तियां हों ताकि वे भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के अपने जनादेश को पूरा कर सकें।
- **अन्य कार्यान्वयन उपायों को अपनाने का आदेश देना**, जो बहिष्कार, संरचनात्मक भेदभाव के मूल कारणों को संबोधित करने और समानता की ओर प्रगति करने के लिए आवश्यक हों। इसमें, उदाहरण के लिए, समानता और गैर-भेदभाव नीतियों और रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन और सार्वजनिक कानून और नीति के सभी पहलुओं में समानता प्रभाव आकलन का उपयोग शामिल है।

अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा: व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून विकसित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका

दिसंबर 2022 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) और इक्वल राइट्स ट्रस्ट ने **"व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून विकसित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका"** प्रकाशित की। यह मार्गदर्शिका उन कानूनों पर स्पष्ट, व्यापक और आधिकारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिन्हें राज्य समानता और गैर-भेदभाव के अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति करने के लिए अपनाने चाहिए।

- यह मार्गदर्शिका वर्तमान में अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, जापानी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश में ऑनलाइन उपलब्ध है। (https://bit.ly/3p2Mf96 या क्यूआर कोड स्कैन करें)। मुद्रित संस्करण अनुरोध पर भेजे जा सकते हैं (कम से कम 30 प्रतियां)।
- मार्गदर्शिका का फ्रेंच और कोरियन में अनुवाद प्रगति में है और 2024 में प्रकाशन अपेक्षित था ।
- अनुरोध करने पर ऑनलाइन वैश्विक ब्रीफिंग विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।
- व्यापक भेदभाव-विरोधी कानून विकसित करने में रुचि रखने वाले सरकारों, विधायकों, नागरिक समाज संगठनों या अन्य व्यक्तियों के लिए, कृपया क्लॉड कैन (claude.cahn@un.org) और जिम फिट्ज़गेराल्ड (jim.fitzgerald@equalrightstrust.org) से संपर्क करें।

अल्पसंख्यक अधिकारों, समानता और भेदभाव विरोधी कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए: https://www.ohchr.org/en/minorities/minority-rights-equality-and-anti-discrimination-law.